

नकली दवाओं पर नकेल

देश की राजधानी दिल्ली में नकली दवाओं का फैलता कारोबार गंभीर चिंता का विषय है। ऐसी दवाएं बाजारों में तो बिक ही रही हैं, सरकारी अस्पतालों में भी पहुंचाई जा रही हैं। इसमें कोई शक नहीं कि कमाई का यह गोरखभंभा मरीजों की जान की कीमत पर चल रहा है। इस पूरे मामले में सरकारी मशीनरी की उदासीनता निराश करने वाली है। दिल्ली सरकार का ड्रग्स कंट्रोल विभाग यह स्वीकार कर रहा है कि बीते पांच साल में उसने विभिन्न स्थानों से दवाओं के जो नमूने जांच के लिए उठाए, उनमें से 101 फेल हो गए। इनमें सरकारी अस्पतालों से उठाए गए तीन नमूने भी शामिल थे। उन मरीजों की हालत की कल्पना ही की जा सकती है, जिनका इलाज ऐसी दवाओं से किया जाता है। इस जानलेवा कारोबार पर लगाम लगाया जाना बहुत जरूरी है। इसके लिए दागी लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाने होंगे लेकिन सख्ती तो जाने दीजिए, ड्रग्स कंट्रोल विभाग ने नकली दवाओं की आपूर्ति करने वाली कंपनियों पर हुई कार्रवाई को लेकर आरटीआइ के तहत पूछे गए सवाल का जवाब देने में गोलमोल रास्ता अपनाया। इस मामले में सरकारी लापरवाही का एक और सबूत पिछले 10 वर्षों से ड्रग्स कंट्रोलर के पद का खाली होना भी है। जिस विभाग का शीर्ष अधिकारी ही नदारद हो तो यह कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वह बेहतर काम करेगा।

दरअसल, पूरे दिल्ली-एनसीआर में मिलावटी सामानों का बाजार फल-फूल रहा है। दवाएं भी इसका हिस्सा बनी हुई हैं और सरकारी तंत्र लगातार लापरवाह बना हुआ है। जरूरत इस बात की है कि सरकारी मशीनरी इस मामले में सख्त कदम उठाए और जिस भी कंपनी की दवाओं के नमूने फेल हो रहे हैं अथवा दवाएं नकली पाई जा रही हैं, उन्हें तत्काल काली सूची में डाला जाए और संबंधित लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज कराए जाएं। इसी प्रकार बाजारों में थोक व खुदरा दवा की दुकानों पर भी लगातार निगरानी की जरूरत है। जिन दुकानों में ऐसी दवाएं पाई जाती हों, उनके लाइसेंस तुरंत प्रभाव से रद्द किए जाएं। ऐसा नहीं है कि मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल ही नहीं हुई हो। पांच साल में शहर में 2930 थोक व खुदरा दवा विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। इसके बावजूद नकली दवाओं की बिक्री जारी रहना यही संकेत करता है कि ये कार्रवाई न तो पर्याप्त है और न ही कारगर।